तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	16-3-2021 को पेश हो।
16/3/2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से जरिये वकील श्री बनवारीलाल जांगु इकबाली जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 5 की तामिल सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। तत्पश्चात प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वरवक्त बहस वकील उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।
	पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा राजीनामा तथा इकबाली जवाब का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि विवादित पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है जिसे न्यायालय हाजा द्वारा तस्दीक भी किया जा चुका है तथा प्रतिवादी सं. 3 ने वादीगण के दावे के प्रति सहमति जताते हुए इकबाली जवाब पेश किया है जो भी राजीनामे की श्रेणी में ही आता है। जिससे पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई विवाद विद्यमान होना
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला	

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	नहीं पाया जाता है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर वाद, वादीगण मुताबिक राजीनामा दिनांकित 22/2/2021 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। राजीनामा दिनांकित 22/2/2021 डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक राजीनामा दिनांकित 22/2/2021 राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 16/3/2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला
सत्यमेव जयते

(राकेश कुमार)
RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

Scanned by TapScanner